



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 987]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2017/अग्रहायण 17, 1939

No. 987]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2017/ AGRAHAYANA 17, 1939

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1499(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, समूह क पद भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, समूह क पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, समूह क पद भर्ती नियम, 2014 में –
(क) नियम 3 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स का स्तर उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे”।;
(ख) अनुसूची में, -
(i) मध्यस्थ के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, -
(ii) कॉलम (4) में कॉलम शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित कॉलम शीर्षक तथा प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
लेवल 14
(144200 – 218200 रु.)”

(ii) कॉलम (11) में उप शीर्ष “प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)” में मद (क) में, -

(क) उप-मद (ii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. जमा 8700/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (118500-214100 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-मद (iii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. जमा 7600/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (78800-209200 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) संयुक्त सलाहकार पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(i) कालम (4) में कालम शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित कालम शीर्षक तथा प्रविष्टियों में प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
लेवल 13 (रु. 123100-215900)”

(ii) कॉलम (11) में, उप शीर्ष “प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)” में मद (क), उप-मद (ii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-4, 15600-39100 रु. जमा 7600/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (78800-209200 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) संयुक्त निदेशक पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,-

(i) कालम (4) में कालम शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित कालम शीर्षक तथा प्रविष्टियों में प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
लेवल 12 (रु. 78800-209200)”

(ii) कॉलम (11) में, उप शीर्ष “पदोन्नति” में मद (क), उप-मद (ii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. जमा 6600/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (67700-208700 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) उप निदेशक पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,-

(i) कालम (4) में कालम शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित कालम शीर्षक तथा प्रविष्टियों में प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
लेवल 11 (रु. 67700-208700)”

(ii) कॉलम (11) में उप शीर्ष “पदोन्नति” में मद (क) में,-

(क) उप-मद (ii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. जमा 5400/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “वेतन मैट्रिक्स में लेवल 9 (53100-167800 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-मद (iii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. जमा 4200/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) सहायक निदेशक पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने

(i) कालम (4) में कालम शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित कालम शीर्षक तथा प्रविष्टियों में प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
लेवल 10
(रु. 56100-17750)”

(ii) कालम (11) में उप-शीर्ष “पदोन्नति” में मद (क) में,-

(क) उप-मद (ii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. जमा 4600/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (44900-142400 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-मद (iii) में प्रविष्टि “ वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. जमा 4200/- रु. ग्रेड वेतन” को प्रविष्टि “ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रु.)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. ए-12018/1/2017-प्रशा.]

राजेश कुमार चौधरी, सयुक्त सचिव (प्रशा.)

नोट: मुख्य नियम दिनांक 16 अक्तूबर, 2014 के सा.का. नि. 735 (अ) संख्या के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Public Enterprises)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2017

G.S.R. 1499(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Group A posts Recruitment Rules, 2014, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Group ‘A’ posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Group A posts Recruitment Rules, 2014,-

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

“3. Number of posts, classification, Level in the Pay Matrix. - The number of the said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule”. ;

(b) in the Schedule, -

(i) against serial number 1, relating to the post of Arbitrator,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in the Pay Matrix
(4)
Level 14
(Rs. 144200-218200)”

(ii) in column (11), under the sub-heading “Deputation (including short-term contract)”, in item (a),-

(a) in sub-item (ii), for the entry “Pay Band-4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700/-”, the entry “Level 13 in the Pay Matrix (Rs. 118500-214100)” shall be substituted;

(b) in sub-item (iii), for the entry, “Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600/-”, the entry “Level 12 in the Pay Matrix (Rs. 78800-209200)” shall be substituted;

(ii) against serial number 2, relating to the post of Joint Adviser,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in the Pay Matrix
(4)
Level 13 (Rs. 123100-215900)”

(ii) in column (11), under the sub-heading “Deputation (including short-term contract)”, in item (a), in sub-item (ii), for the entry “Pay Band-4, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600/-”, the entry “Level 12 in the Pay Matrix (Rs. 78800-209200)” shall be substituted;

(iii) against serial number 3, relating to the post of Joint Director,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in the Pay Matrix
(4)
Level 12 (Rs. 78800-209200)”

(ii) in column (11), under the sub-heading “Promotion”, in item (a), in sub-item (ii), for the entry “Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600/-”, the entry “Level 11 in the Pay Matrix (Rs. 67700-208700)” shall be substituted;

(iv) against serial number 4, relating to the post of Deputy Director,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in the Pay Matrix
(4)
Level 11 (Rs. 67700-208700)”

(ii) in column (11), in the sub-heading “Promotion” in item (a),-

(a) in sub-item (ii) for the entry “Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 5400/-”, the entry “Level 9 in the Pay Matrix (Rs. 53100-167800)” shall be substituted;

(b) in sub-item (iii), for the entry “Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/-”, the entry “Level 6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400)” shall be substituted;

(v) against serial number 5, relating to the post of Assistant Director,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in the Pay Matrix
(4)
Level 10 (Rs. 56100-177500)”

(ii) in column (11), in sub-heading “Promotion” in item (a),-

(a) in sub-item (ii), for the entry “Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/-”, the entry “Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400)” shall be substituted;

(b) in sub-item (iii), for the entry “Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/-”, the entry “Level 6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/1/2017-Admn.]

RAJESH KUMAR CHOUDHRY, Jt. Secy. (Admn.)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* number G.S.R. 735(E), dated the 16th October, 2014.